

04.07.2022:—आज यह पत्रावली पेशी मे लिगई। प्रार्थी ने सिव्दन  
किया की मूल वादपत्र मे राजीनामा डिकी हो  
गया है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई  
कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण  
प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया  
जावे। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र मे निर्णय  
होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नही होने के  
करण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज  
तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

सिव्दन  
र. डी.  
[Signature]  
[Signature]